।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्

Livestock Research Station

Vallabhnagar, Udaipur (Rajasthan) – 313601
Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner (Rajasthan)

Mob. 9414734827
Email- deancvasvbn@gmail.com
CVAS902@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Dr. R. K Nagda
Officer Incharge

No.F8 ( ) /OI/NVU/Pur./RAJUVAS/2023-24/06 Date: 21-09-2023

खुली निविदा–सूचना

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर, उदयपुर पर लगभग 25 हेक्टेयर भूमि पर रबी की फसलोत्पादन (2023–24) के लिए (जिसकी अनुमानित उत्पादन लगभग रू. 8.0 लाख प्रतिवर्ष है) हिस्सा आधारित खेती हेतु मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 05.10.2023 मंगलवार को सायं 04.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 06.10.2023 को दोपहर 12.00 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से दिनांक 05.10.2023 तक (दोपहर 10.30 बजे तक) नगद रूपये 200/– जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं तथा निविदा फार्म के साथ निविदादाता को रूपया 500/– प्रति हेक्टेयर (ब्लोक आधारित) बतौर धरोहर राशि जमा करवानी अनिवार्य होगी।

निविदा संबंधित अन्य जानकारी व विवरण कार्यालय समय में कार्यालय से देखी जा सकती हैं।

प्रभारी अधिकारी

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

निविदा सूचना कमांक–

1. योजना का नामः पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर, उदयपुर

2. कार्य की अनुमानित अवधि : रबी (2023–24) एवं खरीफ (2023–24)

3. धरोहर राशी की प्रकृति व राशी : रू0 पांच सौ प्रति हे0, कार्य पूर्ण होने पर वापिस देय होगा (रिफण्डेबल)

4. निविदा दाता/कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण

<table>
<tr><th rowspan="3">क्र. सं.</th><th rowspan="3">ब्लोक नं.</th><th colspan="4">फसल चक्र</th><th rowspan="3">विवरण</th><th rowspan="3">हिस्सेदारी</th><th rowspan="3">हिस्सेदारी प्रतिशत</th></tr>
<tr><th colspan="2">रबी</th><th colspan="2">खरीफ</th></tr>
<tr><th>क्षेत्रफल</th><th>फसल</th><th>क्षेत्रफल</th><th>फसल</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>25 है.</td><td></td><td>25 है.</td><td></td><td rowspan="2">दाना/बीज उपज</td><td>कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)</td><td></td></tr>
</table>

दिनांक–

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय नाम व पता

खाता नं. ....

मो. नं.– ....

साझा खेती कार्य हेतु निविदा

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 05.10.2023, 10.30 बजे

निविदा खोलने की दिनांक : 06.10.2023, 12:00 बजे

साझा खेती हेतु निविदा की शर्ते

1	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाजर (जैविक) ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जावेगी तथा इनसे सम्बन्धित डीजल खर्च एवं वाहन चालक व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी व इन कार्यो में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
2	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक (जैविक), कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जावेगी।
3	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम में तोलकर रखवाने (जमाने) तक की प्रकिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
4	निविदादाता को सिचांई सम्बन्धी वस्तुएं पाईप, फव्वारे, बेंड, टी ,डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होगें तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होगें। उपरोक्त सामान के टूट जाने, खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने पर जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा सामान नया खरीदकर कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि में कटौती की जायेगी।
5	विभिन्न प्रकार की सस्य कियायें फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा श्रमिक व्यवस्था व उसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
6	हिस्सा आधारित खेती से प्राप्त उत्पादन का हिस्सा ठेकेदार /निविदादाता को निम्नानुसार देय होगा। •सामान्य खेती की दशा में फसल के कुल उत्पादन में से स्वीकृत निविदा प्रतिशत के अनुसार दाने के रूप मे दिया जाएगा। •बीज उत्पादन की दशा में समस्त उत्पादन अनुसंधान केन्द्र द्वारा रखा जायेगा और ठेकेदार को उसके हिस्से का भुगतान कृषि उपज मंडी (अनाज) उदयपुर अथवा राजस्थान राज्य कृषि विपरण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कृषि जिन्सो की थ्रेसिंग से एक पखवाडे पूर्व की औसत दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा। •एक ही ऋतु में ,एक ही फसल को यदि बीज उत्पादन तथा सामान्य खेती, दोनो के रूप में बोई जाती है तो ठेकेदार/निविदादाता को बीज उत्पादन एवं सामान्य खेती के कुल उत्पादन का हिस्सा ,सामान्य खेती के उत्पादन में से दाने के रूप में किया जायेगा। जो निविदादाता को स्वीकार करना होगा।
7	फसल कटाई के मामलों में कटी हुइ फसलों को कहां इक्कट्ठा करना हे व कितने ढेर बनाने है इसके लिये फार्म ईन्चार्ज से अथवा प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए फसल इक्कटा करने के लिये ट्रेक्टर ट्रोली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी। कटी हुई फसल को वर्षा अथवा तूफान से बचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। जिसमें उत्पादन ढकने हेतु त्रिपाल आदि की व्यवस्था निविदादाता को करना होगा।
8	निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य समन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करनी होगी। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म इन्चार्ज अथवा प्रभारी अधिकारी को होगा। जिसमें निविदादाता को कोई आपति नहीं होगी।
9	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म इन्चार्ज/ प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों को जमाने तक का कार्य निविदादाता को करना होगा।
10	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा। केन्द्र का थ्रेसर उपलब्ध होने पर अन्य से थ्रेसिगं कार्य नही कराया जावेगा व केन्द्र कमेटी द्धारा तय दर का मूल्य केन्द्र में जमा करवाकर केन्द्र थ्रेसर से थ्रेसिंग करवानी होगी।

11	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलियान से गोदाम तक लाने के लिये फार्म ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जायेगी।
12	फसल में रोगिंग/ अपवाछंन कार्य फार्म इन्चार्ज की देख रेख में निविदादाता को ही करना होगा। रोगिंग कार्य सही नहीं पाये जाने पर फार्म इन्चार्ज द्वारा अपने स्तर पर मजदूर लगाकर कार्य करवाया जायेगा तथा उसमें लगा हुआ खर्चा अन्तिम भुगतान या जमा धरोहर राशी में से काट लिया जायेगा। जिसमें निविदादाता को कोई आपति नहीं होगी।
13	पम्प व ट्युब वैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देख रेख व रख रखाव का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा।
14	ट्युब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।
15	निविदादाता निविदा में अपना नाम व पता तथा मो0 न0 स्पष्ट अक्षरों में लिखे व पते का प्रमाण का उपयुक्त प्रमाण पत्र जैसे वोटर कार्ड /आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस या बैंक पासबुक जिसमें फोटो लगी हो की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ सलग्न करे व बैंक खाता नम्बर मय आई एफ सी कोड देवें। अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती हैं।
16	निविदादाता के पास हिस्सा आधारित खेती/बीज उत्पादन कार्यक्रम का कोई अनुभव हो तो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपी निविदा के साथ सलग्न करे।
17	पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म के साथ रू0 पांच सौ प्रति हेक्टेयर नगद कार्यालय में जमा कराने होगें। जिसकी निविदा स्वीकृत नहीं होगी, उसे बिना किसी कटौती के पूर्ण राशि वापिस लौटा दी जायेगी तथा जिस पार्टी के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसकी राशि कार्य पूर्ण होने तक धरोहर राशि के रूप में कार्यालय में जमा रहेगी तथा कार्य पूर्ण होने पर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
18	खरीफ फसलों की कटाई का कार्य मशीन से करवाने की अनुमति नहीं होगी तथा सभी फसलों की कटाई का कार्य मजदूरो से करवाना होगा एवं थ्रेसिंग कार्य फार्म इन्चार्ज /प्रभारी अधिकारी के समक्ष ही शुरू करवाया जायेगा। थ्रेसर की पूर्ण साफ सफाई से सन्तुष्टी पश्चात ही थ्रेसिंग कार्य करवाया जा सकेगा।
19	हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल(कम या ज्यादा करने) एवं बोई जाने वाली फसलो का निर्धारण प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं बाद में फसल परिवर्तन का अधिकार प्रभारी अधिकारी को होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
20	हिस्सा खेती में निविदादाता के लगने वाले मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर निविदादाता ही पूर्ण रूपेण उसका जिम्मेदार होगा। पशुधन अनुसंधान केन्द्र कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21	बोई गयी सभी फसलों में निराई–गुडाई आवश्यक रूप से ठेकेदार को ही करानी होगी।
22	निविदादाता द्वारा कुओं पर किसी प्रकार से बिजली से हिटर आदि उपकरण चलाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा करते पाये जाने पर जमा धरोहर राशि से कटौती की जा सकेगी जिसमें निविदादाता को कोई आपति नहीं होगी।
23	किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टी, अनावृष्टी, ओलावृष्टी या अकाल इत्यादि आने पर निविदादाता को इस केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जायेगी।
24	निविदादाता द्वारा फसलों में बताये गये अनुसार सही समय पर सिंचाई, निराई–गुडाई या अन्य आवश्यक कार्य नहीं किये जाने पर केन्द्र द्वारा गठित कमेटी इसका जायजा लेकर बीज उत्पादन में हुए नुकसान का आकंलन करेगी तथा नुकसान की भरपाई निविदादाता को फसल कटाई के बाद किये जाने वाले भुगतान में से कटोती करके की जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। जिसमें निविदादाता को कोई ऐतराज नहीं होगा।

25	सफल निविदादाता को 100 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टांप पेपर पर प्रभारी अधिकारी के नाम शपथ पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में निविदा स्वीकृत होने के अगले दिन सांय काल 4.00 बजे तक जमा करवाना होगा। जिसमें उपरोक्त शर्ते स्वीकार करते हुए कार्य करने की सहमति प्रदान की जाये एवं इसके अभाव में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सफल निविदादाता को कोई कार्य आदेश नहीं दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। द्वितीय सफल निविदादाता की धरोहर राशि एक सप्ताह या सफल निविदादाता को कार्यादेश जो भी पहले हो, तक रोकी जायेगी। सफल निविदादाता को किसी कारण कार्यादेश नहीं होता है तो धरोहर राशि जब्त कर द्वितीय सफल निविदादाता को कमेटी के निर्णयानुसार कार्यादेश दिया जा सकता हैं।
26	बिना कोई कारण बताये निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी को होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
27	निविदा संबंधी कोई विवाद होता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता/निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
28	निविदा खोलने की दिनांक को अगर कोई अवकाश रहता हैं तो निविदा दूसरे दिन कार्य दिवस को खोली जायेगी।
29	कृषि कार्य में लगाये जाने वाले श्रमिकों की उम्र वर्ष 18 से कम नहीं होनी चाहिए।
30	अगर दो या दो से अधिक निविदा एक ही दर पर आ जाती है तो कुल बोई जाने वाली जमीन के क्षेत्रफल का हिस्सा बंटवारा बराबर किया जायेगा। इस स्थिति में यदि कोई निविदादाता सहमत न हो तो लिखित में अनुरोध करने पर उसकी धरोहर राशि लौटा दी जायेगी तथा उसका हिस्सा दूसरे निम्न दर वाले निविदादाता को हस्तातंरित कर दिया जायेगा।
31	लगने वाले श्रमिकों की नामावली (सूची) केन्द्र को मय मोबाईल नम्बर व आधार कार्ड की फोटो कॉपी देना होगा। (डॉ. आर. के. नागदा) प्रभारी अधिकारी
	मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित शर्त संख्या 1 से 31 तक पढ़ ली हैं तथा मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ। कार्य सही नहीं पाये जाने पर मेरी धरोहर राशि केन्द्र जब्त कर सकता है। जिसमें मुझे/हमें कोई आपति नहीं होगी। निविदादाता के हस्ताक्षर दिनांक सहित पूर्ण पत्र व्यवहार पता व मो0 न0